तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./3749/2006/गंगानगर</u>** **<u>असगरअली बनाम भादरखां</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/02/25	**एकल–पीठ** **श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य** **––––** **उपस्थितः** श्री यज्ञदत्त शर्मा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी। श्री प्रशान्त सोनी, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी। ––– **<u>आदेश</u>** 1– यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं0 102/2004 में पारित निर्णय दिनांक 03–5–2006 के पेश की गई है। 2– हस्तगत निगरानी याचिका अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण भादर खां वगैरह ने एक वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण को जरिये मिसल नंबर 139/97 दिनांक 25–8–2001 द्वारा वादग्रस्त आराजी चक 239.500 बीघा आर. डी. पत्थर नम्बर 119/340 रकबा 25 बीघा भूमि पूर्व में टी.सी. आवंटन थी। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का विगत 40–50 वर्षो से लगातार कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी असगर अली जो कि राजस्व तहसील सूरतगढ़ में पटवारी है, जिसने अप्रार्थीगण से उपरोक्त भूमि का पट्टा यह कहकर ले लिया कि इसको राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा दूंगा तथा खाता खुलवाने व पानी की पर्ची बन्धवानी हेतु कई खाली कागजात पर अंगूठा निशानी करवा ली। करीब दो माह पूर्व उसने कहा कि कपास की फसल उठाकर खेत खाली कर दो, अब इसमें मैं काश्त करूंगा, मैंने इकरारनामा पर अंगूठा निशानी लगवाये हैं। इस पर प्रार्थीगण को आशंका है कि अप्रार्थी उनके कब्जा काश्त की आराजी स्वयं या उसके इशारे पर अन्य व्यक्ति जबरिया कब्जा करेंगे। अतः वाद के निर्णय होने तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं करें। 3– योग्य परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ ने दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय दिनांक 26–7–04 द्वारा अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार करते हुये अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई दखल अंदाजी नहीं करने हेतु प्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की, जिसे योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्याायलय ने आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./3749/2006/गंगानगर</u>** **<u>असगरअली बनाम भादरखां</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 03–5–06 द्वारा खारिज कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश दिनांक 03–05–2006 से व्यथित होकर यह निगरानी याचिका मंडल में पेश की गई है। 4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी याचिका मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी सं0–2 के हक में विवादित आराजी का दिनांक 29–4–88 को जरिये इकरारनामा बेचान किया है, तभी से वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का निरंतर कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में इकरारनामे का कोई उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार उसने स्वच्छ हाथों से वाद पेश नहीं किया है, जबकि प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर निरंतर कब्जा चला आ रहा है। न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 212 आरटीएक्ट के प्रकरण में काबिज व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रार्थी सं0–2 ने विपक्षीगण के खिलाफ सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश जारी हो चुका है। कब्जे के रूप में खेत पड़ोसियों के शपथ पत्र, पानी की पर्ची, इकरारनामे की प्रति सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद की प्रति, सिविल न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की प्रति पेश किये गये है, फिर भी दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किये है। आदि कथन करते हुए अंत में प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–05–2006 एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–7–2004 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। 5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण वर्ष 1962 से आवंटन होने के बाद निरंतर काबिज चले आ रहे हैं। भादरखां की ओर से प्रार्थी ने अपने पक्ष में इकरारनामा लिखवा लिया, जिसके सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद पेश किया, जिसमें यथास्थिति स्थगन का आदेश पारित किया गया है। विवादित भूमि का आवंटन दिनांक 25–8–2001 को हुआ है, जबकि इकरारनामा वर्ष 1988 का है जिसका कोई महत्व नहीं है। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने दिनांक 06–8–97 का आवंटन का पात्र माना है, जिसकी अपील करनेल सिंह ने राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष की, जिस पर प्रार्थी करनेलसिंह को अन्य 25 बीघा भूमि के आवंटन करने के निर्देश दिये गये हैं। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्य परक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है, जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतएव प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाये।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./3749/2006/गंगानगर</u>** **<u>असगरअली बनाम भादरखां</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6– उभय पक्षों को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 25–08–2001 को किया गया, जबकि प्रार्थी अपने पक्ष में इकरारनामा दिनांक 29–4–1988 को होना बताते है एवं इकरारनामा के आधार पर अपना कब्जा काश्त होना बता रहे है, जबकि यह भी स्पष्ट है कि उभय पक्षो के मध्य उक्त इकरारनामा दिनांक 29–4–1988 की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु सिविल वाद न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–2, श्रीगंगानगर के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थी को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है, इसकी घोषणा सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही साक्ष्यों के आधार पर तय की जानी है। इसके अतिरिक्त सिविल न्यायालय द्वारा मंगवाई गई मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 6–2–04 एवं 15–3–04 से भी कब्जा अप्रार्थी का माना है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा इकरारनामा किये जाने के बाद कब्जा नहीं लिया गया है। प्रार्थीगण द्वारा इकरारनामा दिनांक 29–4–88 अपने पक्ष में निष्पादित होना अभिकथित किया गया है, किन्तु इसकी प्रति पेश नहीं की गई है एवं ना ही प्रार्थी यह प्रथम दृष्टया सिद्ध कर पाये है कि जब अप्रार्थीगण को भूमि का आवंटन दिनांक 25–8–01 को हुआ है तो प्रार्थी द्वारा इकरारनामा किन दस्तावेजों के आधार पर अपने पक्ष में निष्पादित कराया गया। चूंकि उभय पक्षों के मध्य इकरारनामा दिनांक 29–4–1988 की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद विचाराधीन है, जिसमें उभय पक्षो के मध्य साक्ष्यों के आधार पर निर्णय होना है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित नहीं करने के आधार पर उसके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की है, जिसकी पुष्टि योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के माध्यम से की है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है। चूंकि निगरानी का दायरा अत्यंत सीमित है, अतएव बिना किसी ठोस साक्ष्य के अभाव में हस्तगत निगरानी के माध्यम से उक्त समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतएव हस्तगत निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। 7– परिणामतः हस्तगत निगरानी अस्वीकार कर खारिज की जाती है। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 06/02/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पुरूषोत्तम लाल सैनी)** **सदस्य**	